अशरा ज़ुलहिज्जा

ईदुलअधहा और क़ुरबानी

ePamphlet

AL-HUDA
Publications (Pvt) Ltd.

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

फ़ज़ाइल अशरा ज़ुलहिज्जा

रमज़ानुलमुबारक के बाद ज़ुलहिज्जा का महीना इस्लामी महीनो में निहायत एहमियत का हामिल है,ये महीना हुरमत वाले महीनो में से एक है-ज़ुलहिज्जा का पहला अशरा नेकियों और अजर व सवाब के एतबार से आम दिनों के मुक़ाबले में बहुत एहम है,जिसकी फ़ज़ीलत क़ुरआन करीम और अहादीस से साबित है -

❖ क़ुरआन मजीद में अल्लाह सुबहाना व ताला ने इनकी क़सम खाई है-

وَالْفَجْرِ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ ٥ (الفجر:1-2)

" क़सम है फ़ज्र की और दस रातों की "

अकसर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक "لَيَالٍ عَشْرٍ" से मुराद ज़ुलहिज्जा की इब्तिदाई दस रातें हैं –

❖ अल्लाह ताला ने इन दस दिनों में अपने ज़िक्र का ख़ास हुक्म दिया है- इर्शाद फ़र्माया:

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ (الحج:28)

" और मालूम दिनों में अल्लाह ताला का नाम याद करें "

इबने अब्बास رضي الله عنه से रिवायत है के इन मालूम दिनों से मुराद अशरा ज़ुलहिज्जा के दस दिन हैं- (صحیح البخاری،باب فضل العمل فی ایّام التشریق)

❖ इन दस दिनों में किए जाने वाले आमाल अल्लाह ताला को दूसरे दिनों कि निस्बत ज़्यादा मेहबूब हैं- रसूल अल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

" किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह ताला को इन दस दिनों में किए हुए अमल से ज़्यादा मेहबूब नहीं है, उन्होंने (सहाबा رضي الله عنه) ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ जेहाद फ़ी सबील अल्लाह भी नहीं,आप ﷺ ने फ़रमाया: जेहाद फ़ी सबील अल्लाह भी नहीं हाँ अगर वो शख़्स जो अपनी जान माल के साथ निकले और कुछ वापस लेकर ना आए-" (سنن أبی داؤد:2438)

❖ इन दिनों में से नवां दिन अरफ़ा का है-ये वो अज़ीम दिन है जिसके बारे में रसूल अल्लाह ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:"कोइ दिन ऐसा नहीं है जिस में अल्लाह ताला अरफ़ात के दिन से ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता हो-" (صحیح مسلم:3288)

❖ इसका आख़री और दसवां दिन **يوم النحر** यानी क़ुरबानी का दिन है जिसके बारे में रसूल अल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

" अल्लाह ताला के नज़दीक सब से फ़ज़ीलत वाले दिन **يوم النحر** (क़ुरबानी का दिन)और **يوم القّر** (11 ज़ुलहिज्जा,क़याम मिना) हैं-"

(صحیح ابن حبان،ج:7،2811)

© ALHUDA INTERNATIONAL WELFARE FOUNDATION

अशरा ज़ुलहिज्जा में करने के काम

अशरा जुलहिज्जा अहले ईमान के लिए नेकियां करने और अजर सवाब हासिल करने का बेहतरीन मौक़ा है-हज के अलावा नीचे लिखे आमाल का एहतमाम करना ख़ास अजर हासिल करने का ज़रिया है.

ज़िक्रे इलाही

अबदुल्ला इब्ने उमरرضي الله عنه से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:" कोई दिन अल्लाह ताला के यहां इन दस दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन दस दिनों के अमल से ज़्यादा मेहबूब है पस तुम इन दस दिनों में

تهليل(لا اله الا اللّٰه)، تكبير (اللّٰه اكبر)और تحميد (الحمد للّٰه) कसरत से कहो. (مسند احمد، ج:9، 5446)

इमाम बुख़ारी (र)ने बयान किया है कि "इन दस दिनों में इब्ने उमर رضي الله عن और अबु हुरैराرضي الله عنه तकबीर पुकारते हुए बाज़ार निकलते और लोग भी उनके साथ तकबीरात कहना शुरू कर देते-"

(صحيح البخارى،باب فضل العمل فى ايّام التشريق)

सहाबा करामرضي الله عنه से मुख़्तलिफ़ तकबीरें पढ़ना साबित है, मसलन.

اَللّٰهُ اَكبَر اَللّٰهُ اَكبَر، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكبَر، اَللّٰهُ اَكبَر وَلِلّٰهِ الحَمد.

(مصنف ابن ابى شيبه، ج:3، 5694)

اَللّٰهُ اَكبَر كَبيرًا, وَالحَمدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا, وَسُبحَانَ اللّٰهِ بُكرَةً وَّاَصِيلًا.

(صحيح مسلم:1358)

रोज़ा

नौ ज़ुलहिज्जा को रोज़ा रखना बाइसे सवाब है -
रसूल अल्लाह ﷺ से यौमे अरफ़ा के बारे में पूछा गया तो फ़रमाया:

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ (صحيح مسلم:2747)

“ गुज़िश्ता साल और आइन्दा साल के गुनाहों का कफ़्फ़ारा है "

एक और रिवायत से पता चलता है कि "रसूल अल्लाह ﷺ नो ज़ुलहिज्जा,यौमे आशूर और हर माह में से तीन दिन रोज़ा रखते थे-"

(سنن أبى داؤد:2437)

नोट : मैदाने अरफ़ात में हाजी ये रोज़ा नहीं रखेगा -

© AL-HUDA INTERNATIONAL WELFARE FOUNDATION

ईदुलअधा (बक़रईद)

ईदुलअधा या बक़रईद मुसलमानों का त्योहार है -इसे बड़ी ईद या ईदे क़ुरबान भी कहा जाता है-सारी दुनिया के मुसलमान ये ईद इब्राहीम(अ) की उस सुन्नत की पैरवी में मनाते हैं जो उन्होंने अपने बेटे की क़ुरबानी की शक्ल में जारी की और अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत की सच्ची मिसाल क़ायम की -

ये ईद दस ज़ुलहिज्जा को मनाइ जाती है और तेराह ज़ुलहिज्जा तक क़ुरबानी की जा सकती है- नबी ﷺ मदीना तशरीफ़ लाए तो आप ﷺ ने फ़रमाया :

" तुम साल में दो दिन ख़ुशियां मनाया करते थे,अल्लाह ताला ने तुम्हें उनसे बेहतर दो दिन अता फ़रमाए हैं,ईदुलफ़ित्र और ईदुलअधा.

(سنن النسائی:1556)

ईद के दिन करने के काम

- ❖ ग़ुसल करना,ख़ुशबू लगाना और बहतरीन लिबास पहनना -
- ❖ तकबीरात पढ़ना -
- ❖ ईद की नमाज़ से पहले कुछ ना खाना -
- ❖ नमाज़े ईद के लिए जल्दी जाना -
- ❖ ख़्वातीन और बच्चों को ईदगाह लेकर जाना -
- ❖ अज़ान और तकबीर(अक़ामत)के बग़ैर ईद की नमाज़ पढ़ना.
- ❖ नमाज़ के बाद ख़ुतबा सुनना -
- ❖ इस्तिताअत के मुताबिक़ क़ुरबानी के जानवर को ज़िबाह करना.
- ❖ गोश्त तक़सीम करना -
- ❖बाहम मुलाक़ात व दुआ देना : (فتح البارى) -تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنكُم
" अल्लाह ताला हमसे और आपसे(इबादत)क़ुबूल फ़रमाए -"
- ❖नमाज़े ईद के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना-
- ❖हल्के फुल्के खेलों और अशआर के ज़रिए ख़ुशी मनाना -

(سنن الكبرى للبيهقى:6390)

AL-HUDA INTERNATIONAL WELFARE FOUNDATION

क़ुरबानी

अशरा ज़ुलहिज्जा की आख़री मगर ऐहम इबादत क़ुरबानी है- क़ुरबानी का लफ़्ज क़ुरब से निकला है -इस्तिलाहन क़ुरबानी से मुराद "वो अमल है जो अल्लाह ताला की रज़ा और क़ुरब के हुसूल के लिए जानवर ज़िबाह करने की शकल में 10 ज़ुलहिज्जा से 13 ज़ुलहिज्जा तक किया जाता है -"

मक़ासिदे क़ुरबानी

❖ अल्लाह की रज़ा वा ख़ुशनूदी हासिल करना :

ख़ालिसतन अल्लाह के हुक्म की अताअत करते हुए,उस से मोहब्बत के इज़हार वा एतराफ़ के तौर पर,अपने आपको हर तरह की रयाकारी से बचाते हुए जानवर ज़िबाह करना ही क़ुरबानी का असल मक़सद है. क़ुरआन मजीद में नबी अकरम ﷺ को ख़िताब करते हुए फ़रमाया गया:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر (الكوثر: ٢)

अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ और क़ुरबानी कर

" एक और जगह फ़रमाया:

قُل اِنَّ صَلَاتِی وَنُسکی وَمَحیَایَ وَمَمَاتِی لِلہِ رَبِّ العَالَمِینَ۔ (الانعام: ١٦٢)

" कह दीजिए बेशक मेरी नमाज़,मेरी क़ुरबानी,मेरा जीना,मेरा मरना अल्लाह रब्बलआलमीन के लिए है -"

❖तक़वा का हुसूल:

तक़वा एक मुसलमान की और उसके मोमिन होने की अलामत है- अल्लाह की ख़ातिर क़ुरबानी करने से असल मक़सूद इसी तक़वा की सिफ़त को बढ़ाना है,नाके एक दूसरे पर फ़ख़र जताना,मुक़ाबिला बाज़ी करना लेहाज़ा इस सुन्नत इब्राहीमी

की याद ताज़ा करते वक़्त,अल्लाह की मुकम्मल इताअत का जज़्बा दिल में ना हो तो जानवरों का ख़ून बहाना,गोश्त तक़सीम करना और ख़ुद खाना महज़ एक बे रूह अमल है जिस से कोइ फ़ायदा हासिल ना होगा -

अल्लाह सुबहाना व तआला फ़रमाते हैं

لَنۡ یَّنَالَ اللّٰہَ لُحُوۡمُہَا وَلَا دِمَآؤُہَا وَلٰکِنۡ یَّنَالُہُ التَّقۡوٰی مِنۡکُمۡ ؕ

(الحج :37)

" अल्लाह को ना जानवरों का गोश्त पहुंचता है और ना उनका ख़ून,उसे सिर्फ़ तुम्हारा तक़वा पहुंचता है -"

© AL HUDA INTERNATIONAL WELFARE FOUNDATION

एहमियते क़ुरबानी

❖क़ुरबानी का हुक्म आदम(अ)से लेकर रसूल अल्लाह ﷺ तक तमाम आसमानी शरियतों में रहा-

इरशादे बारी ताला है :(الحج:٦٧) لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلنَا مَنسَكًا هُم نَاسِكُوهُ۔

" हमने हर उम्मत के लिए एक तरीक़ा इबादत(क़ुरबानी)मुक़र्रर कर रखा है,वो इसपर चलने वाले हैं -"

क़ुरआन मजीद में बहुत ख़ूबसूरत अन्दाज़ में इब्राहीम(अ)की क़ुरबानी का ज़िक्र किया गया है -
" और (इब्राहीम(अ)ने)कहा,मैं अपने रब की तरफ़ जाता हूं,अनक़रीब वो मेरी रहनुमाई करेगा-ऐ मेरे रब! मुझे सालेहीन में से(औलाद) अता कर-तो हमने उसको एक हलीम(बुर्दबार)लड़के की बशारत दी-वो लड़का जब उसके साथ दौड़ धूप की उमर को पहुंच गया तो इब्राहीम(अ)ने कहा बेटा! मैं ने ख़्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूं,तेरा क्या ख़्याल है ?उसने कहा,ऐ मेरे अब्बाजान! जो आपको हुक्म दिया गया है कर डालिए,आप इन्शा अल्लाह मुझे साबिरों में से पाऐंगे,तो जब उन दोनों ने इताअत की और उसे (इस्माईल(अ)को)माथे के बल गिरा दिया -और हमने निदा दी के ऐ इब्राहीम (अ)! तूने ख़्वाब सच कर दिखाया बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जज़ा देते हैं-बेशक अलबत्ता ये एक बहुत वाज़ह इम्तहान था,और हमने एक बड़ी क़ुरबानी के ज़रिए इस क़ुरबानी का फ़िदया दिया- और हमने बाद वालों में इस का ज़िक्र ख़ैर क़ायम कर दिया -"

(الصّٰفّٰت:٩٩-١٠٨)

ये है इब्राहीम(अ)और इसमाईल(अ)किरदार में तसलीम रज़ा का वो बेमिसाल नमूना जो बारगाहे इलाही में इस दर्जा मक़बूल हुआ के रहती दुनिया तक अल्लाह ताला ने इस सुन्नत को जारी करदिया-

❖ये ना सिर्फ़ इब्राहीम(अ)ख़लील अल्लाह की सुन्नत है बल्कि नबी करीम ﷺ ने ईदुलअधा के मौक़े पर क़ुरबानी को अपनी सुन्नत क़रार दिया -रसूल अल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

" बेशक इस दिन हम पहला काम ये करते हैं के नमाज़(ईद)अदा करते हैं फिर वापस पलटते हैं और क़ुरबानी करते हैं,जिस शख़्स ने ऐसा ही किया उसने हमारी सुन्नत को पा लिया -

(صحيح البخارى:965)

❖एक और रिवायत में नबी करीम ﷺ ने नमाज़ ईद के बाद क़ुरबानी करने को एहले इस्लाम की सुन्नत क़रार देते हुए फ़रमाया

© AL HUDA INTERNATIONAL WELFARE FOUNDATION

" जिसने नमाज़(ईद)से पहले ज़िबाह किया तो उसने अपने लिए ज़िबाह किया और जिसने नमाज़ के बाद ज़िबाह किया उसकी क़ुरबानी मुकम्मल हो गई और उसने मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया -"(सही बुख़ारी)

❖ रसूल अल्लाह ﷺ ने हमेशा इस सुन्नते इब्राहीमी पर अमल किया.
अनसरضي الله عنه बयान करते हैं:
" नबी अकरम ﷺ दो मेंढे ज़िबाह किया करते थे और मैं भी दो मेंढे ज़िबाह करता हूं -

(صحيح البخارى:5553)

क़ुरबानी के बारे में आप ﷺ का एहतमाम इस से भी वाज़ह होता है के हज्जतुल विदा के मौक़े पर आप ﷺ ने हज की क़ुरबानी के सौ ऊंठ ज़िबाह करने के साथ साथ ईदुलअधा की क़ुरबानी के लिए अपनी तरफ़ से बकरी और अज़वाजे मुताहरात की तरफ़ से एक गाय ज़िबाह की.

(صحيح البخارى:1707)

❖ रसूल अल्लाह ﷺ ने उम्मत को भी क़ुरबानी करने की ताकीद फ़रमाई -

मुख़नफ़ बिन सलीम رضي الله عنه बयान करते हैं के जब हम रसूल अल्लाह ﷺ के साथ अरफ़ात में थे तो आप ﷺ ने फ़रमाया:
" ए लोगो! हर साल हर घर वालों पर क़ुरबानी है -"

(سنن الترمذى:1518)

❖इस्तिताअत के बावजूद क़ुरबानी ना करने वाले लोगों के बारे में रसूल अल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:
" जो वुसअत के बावजूद क़ुरबानी ना करे वो हमारी ईदगाह के क़रीब ना आए -"

(سنن ابن ماجه:3123)

सहाबा करामرضي الله عنه भी इत्तेबाए रसूल ﷺ में क़ुरबानी का एहतमाम फ़रमाते-अबु उमामा बिन सहलرضي الله عنه ने बयान किया है:
" हम मदीना में अपने क़ुरबानी के जानवरों को परवरिश करके मोटा करते थे और मुसलमान(दुसरे)भी इसी तरह इन्हें पालकर मोटा करते थे -"

(بحواله صحيح البخارى)

हिकमते क़ुरबानी

अल्लाह ताला ने इब्राहीम(अ)के जज़बए ईसार वा क़ुरबानी और मुकम्मल सुपुर्दगी को बेपनाह पसंद किया,उनको मोहसिन और ख़लील अल्लाह(अल्लाह का दोस्त)के लक़ब से नवाज़ा और उनके नाम को रहती दुनिया तक जारी कर दिया,लेहाज़ा तमाम दुनिया के मुसलमान हर नमाज़ में नबी ﷺ के साथ इब्राहीम(अ)पर भी दुरूद सलाम भेजते हैं और उनकी क़ाइम करदा सुन्नत को ज़िन्दा रखते हुए हर साल क़ुरबानी करते हैं-

©AL-HUDA INTERNATIONAL WELFARE FOUNDATION

अल्लाह ताला अपने बन्दों से ऐसी ही मुकम्मल इताअत और फ़रमाबरदारी चाहते हैं के जब अल्लाह ताला का हुक्म आजाए तो बग़ैर कसी पसोपेश के अमल किया जाए,यही हिकमत क़ुरबानी करने के पीछे मौजूद है इस लिए दुनिया भर के मुसलमान क़ुरबानी की इस सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह ताला से एहद करते हैं के ऐ रब्बल आलमीन! हम तेरे इताअत गुज़ार बन्दे हैं जब तेरा हुक्म होगा तो हम दीन इस्लाम की ख़ातिर किसी क़िस्म की क़ुरबानी से दरेग़ (पीछे हटना) नहीं करेंगे -

इब्राहीम(अ) ने ख़्वाब में अल्लाह ताला का हुक्म पाने के बाद तमाम अक़्ली दलाइल को एक तरफ़ रख दिया और कमाले उबूदियत का इज़हार करते हुए अपनी अज़ीज़ तरीन मता अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश करदी,हर साल 10 ज़ुलहज्जा को जानवरों की क़ुरबानी करना इसी जज़बए उबूदियत की याद को ताज़ा करना है.

एहकामे क़ुरबानी

❖क़ुरबानी की नियत के साथ जानवर ज़बाह करना ज़रूरी है.

❖ क़ुरबानी का जानवर नमाज़े ईद के बाद ज़बाह करना ज़रूरी है. जुन्दुब बिन सुफ़यान رضي الله عنه रिवायत करते हैं के मैं ईदुलअधा के दिन रसूल अल्लाह ﷺ के साथ था,जब आप ﷺ लोगों को नमाज़ पढ़ा चुके तो देखा के एक बकरी ज़बाह की हुई है,आप ﷺ ने फ़रमाया: " जिसने नमाज़ से पहले ज़बाह किया वो इसके बदले में दूसरी बकरी ज़बाह करे और जिसने ज़बाह नहीं किया तो वो بِسمِ اللهِ पढ़कर करे -"

(صحیح البخاری:985)

❖ बकरा,दुमबा,भेड़ वग़ैरह की क़ुरबानी एक ही शख़्स कर सकता है लेकिन गाय की क़ुरबानी में सात इफ़राद और ऊंट की क़ुरबानी में दस इफ़राद शरीक हो सकते हैं -

(سنن الترمذی:1501)

❖ क़ुरबानी करने वाला ज़ुलहिज्जा का चांद देखने के बाद बालों और नाख़ुनों को ना काटे

(صحیح البخاری:5548)

❖ मुसाफ़िर भी क़ुरबानी कर सकता है -

(صحیح البخاری:7210)

❖ सब घर वालों की तरफ़ से एक क़ुरबानी करना काफ़ी है -

❖ किसी रिश्तेदार,दोस्त या तमाम मुसलमानों की तरफ़ से भी क़ुरबानी की जा सकती है

(صحیح مسلم:2918، 5091)

❖ मरहूमीन की तरफ़ से भी क़ुरबानी की जा सकती है -

(سنن ابن ما جه:3122)

❖किसी रिश्तेदार,दोस्त या इज्तिमाई क़ुरबानियों का एहतमाम करने वाले इदारों के ज़रिए क़ुरबानी करवाना दुरुस्त है-

❖क़ुरबानी के जानवर की रक़म किसी भी दुसरे मसरफ़ में देने से क़ुरबानी का हक़ अदा ना होगा चाहे वो पैसा कितने ही नेक,रफ़ाही या सदक़ा व ख़ैरात के कामों में दिया जाए –

क़ुरबानी के जानवर की शराइत

❖ नबी अकरम ﷺ ने उम्मत की क़ुरबानी के लिए दो दांत का जानवर ज़बाह करने की तलक़ीन फ़रमाई जाबिर رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

" क़ुरबानी में ज़बाह ना करो मगर एक مسنه (जो एक बरस का होकर दुसरे में लगा हो)अलबत्ता जब तुम को ऐसा जानवर ना मिले तो दुम्बे का جذعه (दुम्बे का वो बच्चा जो एक साल का हो) ज़बाह करो -"

(صحيح مسلم:5082)

नोट: ये इजाज़त सिर्फ़ दुम्बे के बच्चे के लिए है बकरी के बच्चे के लिए नहीं.

❖ ख़सी और ग़ैर ख़सी दोनों क़िस्म के जानवरों की क़ुरबानी करना सुन्नत से साबित है.

जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه से रिवायत है:

“रसूल अल्लाह ﷺ के पास दो सींगों वाले,चितकबरे,बड़े बड़े ख़सी मेंढे लाए गए. आप ﷺ ने इन दोनों में से एक को पछाड़ा और फ़रमाया:" अल्लाह ताला के नाम से,और अल्लाह ताला सब से बड़ा है-मोहम्मद ﷺऔर उनकी उम्मत की तरफ़ से,जिन्होंने तेरी तोहीद की गवाही दी और मेरे पैग़ाम को पहुंचाने की शहादत दी-"

(مسند ابی یعلی الموصلی،ج:3،1792)

❖ अबु सईद ख़ुदरी رضي الله عنه से रिवायत है:

" रसूल अल्लाह ﷺ सींगों वाले,ग़ैर ख़सी मेंढे की क़ुरबानी करते थे, उसकी आंखें,मुंह और हाथ पाऊं स्याह होते थे -" (سنن أبی داؤد:2796)

❖ मन्दरजा ज़ील ऐबों वाले जानवरों की क़ुरबानी करना जाइज़ नहीं है -

एक आँख वाला होना,बीमार होना, लंगड़ापन नज़र आना,हड्डीयों में गूदा ना होना,कानों का आगे,पीछे,लम्बाई या चौड़ाई से कट कर लटक जाना(या कानों में सूराख़ होना),जानवर में इन ऐबों से बड़ा ऐब होना -

(مسند احمد، ج:30،18510)

ज़िबाह के एहकाम

❖ क़ुरबानी के जानवर को उमदा और अच्छे तरीक़े से ज़बाह किया जाए-

(صحيح مسلم:5055)

❖ ज़बाह करते वक़्त जानवर को क़िबला रुख़ कर लेना मुसतहब है.

(مناسك الحج والعمرة للالبانى)

❖ ज़बाह करते वक़्त छुरी की धार तेज़ होनी चाहिए

(صحيح مسلم:5055)

❖ क़ुरबानी करते वक़्त की दुआ: بِسمِ اللهِ وَاللهُ اَكبَر "अल्लाह के नाम के साथ

© AL HUDA INTERNATIONAL WELFARE FOUNDATION

(ज़बाह करता हुं)अल्लाह बहुत बड़ा है-"

(صحيح البخارى:5558)

❖ ख़ुद ज़बाह करना अफ़ज़ल है लेकिन किसी दुसरे से करवाने में भी कोइ हरज नहीं-

(صحيح البخارى:2950)

❖ मुसलमान औरत भी क़ुरबानी का जानवर ज़बाह कर सकती है

(صحيح البخارى:5504)

❖ ज़बाह करने वाले क़स्साब को क़ुरबानी के जानवर में से कोइ चीज़ बतौर मज़दूरी देना जाइज़ नहीं.

(صحيح البخارى:1716)

क़ुरबानी के गोश्त की तक़सीम

❖क़ुरबानी का गोश्त ख़ुद खाना और ज़रुरतमन्दों को देना क़ुरआन पाक से साबित है –

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (الحج:36)

“ पस उसमें से ख़ुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो क़िनाअत किए बैठे हैं और उनको भी जो अपनी हाजत पेश करें."

आप ﷺ ने फ़रमाया: " खाओ,ज़ख़ीरा करो और ख़ैरात करो "-

(صحيح مسلم:5103)

इस लिए क़ुरबानी का गोश्त ख़ुद इस्तिमाल करने के साथ साथ ग़रीबों और रिश्तेदारों को दिया जा सकता है-कुन्बा बड़ा होने की सूरत में पूरा गोश्त ख़ुद भी इस्तिमाल किया जा सकता है.ख़ुद और अज़ीज़ो अक़ारिब साहबे इस्तिताअत हों तो क़ुरबानी का तमाम गोश्त ग़रीबों में भी तक़सीम किया जा सकता है -

❖ क़ुरबानी की खाल ज़ाती इस्तिमाल के लिए भी रखी जा सकती है और सदक़ा जारिया के किसी काम में भी दी जा सकती है -

© ALHUDA INTERNATIONAL WELFARE FOUNDATION

AlHuda Welfare Trust India

Post Box Number 444

Basavanagudi Bangalore 560004 ,India

+918040924255. | +91-9535612224

alhuda.india@gmail.com | www.farhathashmi.com